केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर,
ऑर्बिट मॉल, सिविल लाईन, जयपुर

सोने की नीलामी बिक्री सूचना

नीचे उल्लेखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। पंजीकृत डाक द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस बैंक को बिना पावती के वापस आ गए हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे देयता और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और 29-08-2025 तक या उससे पहले गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों/स्वर्ण आभूषणों/आभूषणों को छुड़ा लें, अन्यथा उक्त प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा 30-08-2025 दिनांक को दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे तक बैंक परिसर में ऋणी की कीमत पर सार्वजनिक नीलामी में या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर बिना किसी सूचना के बैंक के पूर्ण विवेक पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋण की दिनांक	ऋणी का नाम एवं पता	बकाया राशि (ऋणी के अन्य लोन भी शामिल)
1	जयपुर जगतपुरा [08472]	17-05-2024	श्री देशराज मीणा खाता संख्या:- 125005915448 118 कृष्णा सागर कॉलोनी, इस्कॉन मंदिर के पास, मानसरोवर, जयपुर।	रू. 2.16 लाख
2	जयपुर अरविंद मार्ग [00362]	28-01-2022	श्री धर्मवीर सिंह, खाता संख्या: 180050270654 ग्राम बलवारी, खोल, रेवाडी, हरियाणा-123103	रू. 0.71 लाख

दिनांक: 15.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष
चंडीगढ़ बेंच–1, चंडीगढ़
(मूल न्यायाधिकार क्षेत्र)
कम्पनी याचिका सं. सीपी (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई ऑफ 2025
के सम्बंधित
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 15/सीएचडी/एचआरवाई ऑफ 2024
कम्पनी अधिनियम 2013 (18 ऑफ 2013) के मामले में
धारा 230 और 232 तथा
व्यवस्था की योजना के मामले में
तथा
निम्नलिखित के मामले में

कापो फुटवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता नं. 1/विभाजित कम्पनी
तथा
अदिति फुटस्टेप प्राइवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता नं. 2/परिणामी कम्पनी

(दोनों कम्पनियों कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित किया गया है तथा इनका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या 245, सेक्टर–17, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, बहादुगढ़–124 507, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित है।)

याचिका की सुनवाई की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230 और 232 के तहत धारा 66 के साथ पठित, कम्पनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016, और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत एक संयुक्त याचिका कापो फुटवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड और अदिति फुटस्टेप प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्था की योजना को मंजूरी प्राप्त करने के लिए 16 जूलाई, 2025 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका 19 सितंबर, 2025 को प्रातः 10:30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच–1, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट न. 4–बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर–27–बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160 019 के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपनी आशय की सूचना, अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम तथा पते के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच–1, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट न. 4–बी, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर–27–बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160 019 अथवा याचिकाकर्ता अधिवक्ता को सूचित करे, ताकि यह नोटिस बेंच अथवा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास, सुनवाई हेतू निर्धारित तिथि के कम से कम 2 दिन से पहले पहुचे। यदि कोई याचिका के प्रतिवाद हेतू इच्छुक है तो विरोध के आधारो अथवा शपथपत्र की एक प्रति इस नोटिस के साथ प्रस्तुत करे। याचिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित शुल्क पर/जिसके भुगतान करने पर इसकी आवश्यकता होती है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जाऐगी।

हस्ताक्षर
कार्तिकेय गोयल, अधिवक्ता
कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
785, पॉकेट–ई, मयूर विहार–।।,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच–9, दिल्ली–110 091
ई–मेल: rajeev391@gmail.com, वेबसाइट: www.rgalegal.in

दिनांक: 14.08.2024
स्थान: नई दिल्ली

IEX INDIAN ENERGY EXCHANGE INNOVATION TECHNOLOGY FUTURE

इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL2007PLC277039
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल यूनिट नं. 1.14(ए), अवांता बिजिनेस सेंटर, सदर्न पार्क, डी–2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007, भारत
टेलीफोन: +91-011-3044 6511, **टेलीफोन:** +91-120-4648 100, **फैक्स नं.:** +91-120-4648 115
वेबसाइट: www.iexindia.com, **ईमेल:** compliance@iexindia.com

19वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड ("कंपनी") की 19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), वीरवार, 11 सितंबर, 2025 को 12:00 बजे अप. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रें, नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पी.ओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने और कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने की अनुमति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सभी सदस्यों और अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेजेगी, जिनका ई–मेल पता कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम सूचना का सटीक पाथ और प्रासंगिक विवरण सहित वेब–लिंक प्रदान किया जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 कंपनी की वेबसाइट https://www.iexindia.com/, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी के आरटीए") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग ले सकते हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते और मोबाइल नंबर को पते के विवरण सहित पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो कृपया डीपी के साथ संपर्क करें और अपने विवरण को अपडेट करें और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो कंपनी के आरटीए के साथ https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर लिंक पर पहुंचकर या einward.ris@kfintech.com पर लिखकर एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ई–वोटिंग के निर्देश और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश प्राप्त करें।

रिमोट ई–वोटिंग

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए सदस्यों को 'केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' नामक ई–वोटिंग एजेंसी के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। डीमैटरियलाइज्ड मोड/भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 8 सितंबर, 2025 से शुरू होगी। कंपनी के सदस्य, जो वीरवार, 4 सितंबर, 2025 की कट–ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, एजीएम की तिथि पर रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे केवल ई–वोटिंग के माध्यम से ही एजीएम में वोट कर सकेंगे।

भौतिक शेयरधारकों द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए केवाईसी पंजीकरण का तरीका

सेबी ने 07 मई, 2024 के अपने मास्टर परिपत्र के जरिए भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उक्त अधिदेश के अनुसार, भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारक, जिनके फोलियो किसी भी केवाईसी विवरण के साथ अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे। उपरोक्त के अनुसार, भौतिक फोलियो के संबंध में लाभांश, जहां कोई भी केवाईसी विवरण (नामांकन के विकल्प को छोड़कर) अपडेट नहीं है, कंपनी द्वारा रोक दिया जाएगा। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए (केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर–1, आईएसआर–2, आईएसआर–3 या एसएच–13 भेजकर अपना पैन, केवाईसी और नामांकन (वैकल्पिक) विवरण प्रस्तुत करें।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना पूरा बैंक विवरण/ईमेल पता अपडेट करें।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश और लाभांश पर कर

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.50 रुपये के अंतिम लाभांश के भुगतान हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु शुक्रवार, 16 मई, 2025 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। यह लाभांश भुगतान 24 अप्रैल, 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार होगा और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।

शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से कर योग्य है। इस प्रकार, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपरोक्त अंतिम लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") कटौती आवश्यक है। कंपनी को सही टीडीएस दरों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित दस्तावेज या तो आरटीए के पोर्टल https://ris.kfintech.com/form15/ पर प्रस्तुत करें या दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां einward.ris@kfintech.com पर शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 तक ई–मेल करें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड**
ह./–
विनीत हरलालका
सीएफओ, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एसीएस.16264

स्थान: नोएडा
तिथि: 14 अगस्त, 2025

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड: एक्सप्रेस जोन, ए विंग, आठवीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगाँव (ई), मुम्बई 400 063 भारत

मैसर्स फिटस्लैश इनकॉरपोरेशन **कब्जा सूचना** **संदर्भ सं.: एपीपीएल00004185**

चूंकि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के अधीन **मांग सूचना (विवरण नीचे सारणी में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसे बाद में मांग सूचना कहा गया है)** जारी की गई थी, जिसमें **कर्जदार(ों) (विवरण नीचे सारणी में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसे बाद में कर्जदार कहा गया है)** को मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर **मांग सूचना** में उल्लेखित रकम के साथ उस पर ब्याज की अनुबंधकीय दर पर आगे एवं भविष्य के ब्याज की रकम के साथ एआरजीएफएल द्वारा मांग सूचना की तारीख से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक लागत एवं शुल्क तथा अन्य भुगतेय रकम (यदि कोई हो) **(जिसे यहां बाद में बकाया रकम कहा गया है)** चुकता करने को कहा गया है।

कर्जदार (ों) तथा सह-कर्जदार (ों) द्वारा बकाया रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा विशेष रूप से यहां नीचे उल्लेखित कर्जदार एवं आम तौर पर जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे विशेष रूप से उल्लेखित तारीख को निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों (जैसा की मांग सूचना के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा सह-कर्जदार (ों) तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा **बकाया रकम** (यहां नीचे विशेष रूप से उल्लेखित है) के साथ उस पर अनुबंधकीय दर पर आगे एवं भविष्य के ब्याज की रकम के साथ एआरजीएफएल द्वारा भुगतान की तारीख तथा/अथवा वसूली की तारीख तक लागत एवं शुल्क तथा अन्य भुगतेय रकम (यदि कोई हो) के लिए आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार (ों) का नाम एवं पता: मैसर्स फिट स्लैश इनकॉरपोरेशन पहली मंजिल फ्लैट सं. 104/1 पॉकेट 3 ब्लॉक ए सेक्टर 7 रोहिणी नई दिल्ली 110085

सह-कर्जदार (ों) का नाम एवं पता: 1. श्री अमन भदोरिया 2. सुश्री ललिता सिंह ● पहली मंजिल फ्लैट सं. 104/1 पॉकेट 3 ब्लॉक ए सेक्टर 7 रोहिणी नई दिल्ली 110085 ● सी-2/318, प्रिंटर्स अपार्टमेंट्स, सेक्टर-13, रोहिणी राजापुर कलां नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-110085

मांग सूचना के अनुसार बकाया रकम साथ में लागू आगे के ब्याज: रु. 31,11,042/- (रुपये इकतीस लाख ग्यारह हजार बयालीस मात्र)	आरओआई	12.50%
	बकाया मूलधन	2,888,178
	लंबित ईएमआई रकम	145,063
	खंडित अवधि का ब्याज	6,017
मांग सूचना की तारीख: 12 दिसम्बर, 2024	अधिदेय ब्याज	14,924
	विधिक प्रभार	39,500
ऋण अनुबंध सं.: एपीपीएल00004185	नोटिस प्रभार	1,100
कब्जा की तारीख: 13 अगस्त, 2025	ईएमआई बाउंस शुल्क	16,260
	कुल बकाया	**31,11,042**

सम्पत्ति का पता: प्रिंटर्स अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. 18, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, 110085, नई दिल्ली में स्थित ब्लॉक-सी2 में फ्लैट सं. 318। **चौहद्दी: पूर्व:-** एनई : फ्लैट सं. 317, **पश्चिम:-** एसडब्ल्यू: अन्य की सम्पत्ति, **उत्तर:-** एनडब्ल्यू: प्रवेश/फ्लैट सं. 319, **दक्षिण:-** एसई: अन्य की सम्पत्ति।

दिनांक: 13 अगस्त, 2025 **आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड**
स्थान: दिल्ली **अधिकृत अधिकारी**

इनसिल्को लिमिटेड

(दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन)
सीआईएन : L34102UP1988PLC010141
पंजी. कार्यालय: बी–23, सैक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
फोन: 09837923893, ईमेल आईडी: insilco2@gmail.com, वेबसाइट: www.insilcoindia.com

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण (रू. लाखों में)

विवरण	30 जून 2025 तक समाप्त तिमाही	चालू वर्ष आज तक (लेखापरीक्षित) 31 मार्च 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के संगत 3 महीने
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	8	224	60
अवधि के लिए (हानि), (कर, असाधारण और/या असामान्य मदों से पूर्व#)	-93	-227	-58
कर पूर्व अवधि के लिए (हानि), (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद#)	-93	-227	-58
कर के बाद अवधि के लिए (हानि), (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद#)	-95	-283	-67
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि) [जिसमें अवधि के लिए (हानि)(कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) सम्मिलित हैं]	-95	-283	-67
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	3,399	3,399	6,272
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि छोड़कर) जैसा पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)		-2,590	
प्रति शेयर आय (प्रति रू. 10/–) (जारी और बंद परिचालनों के लिए)			
(क) मूल	-0.15	-0.45	-0.11
(ख) विलयन (डिल्यूटेड)	-0.15	-0.45	-0.11

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 30 जून, 2025 तक और समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण हेतु परिणामों पर संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है। तिमाही/वर्ष के अंत के वित्तीय परिणामों तथा सीमित समीक्षा रिपोर्ट का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज़ों की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.insilcoindia.com) पर उपलब्ध हैं।

#कम्पनी के पास उपरोक्त अवधियों में रिपोर्ट करने हेतु कोई असाधारण तथा असामान्य मदें मौजूद नहीं हैं।

कृते एवं हित में निदेशक मंडल, इनसिल्को लिमिटेड
(25–06–2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन)

हस्ता./–
परिमल नारायणन विनोद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08803466

हस्ता./–
कपिला गुप्ता
इनसिल्को लिमिटेड के परिसमापक
[पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02564/2021-2022/13955]

तिथि : 13 अगस्त, 2025 स्थान : मुंबई स्थान : नोएडा

एम्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1993PLC053060
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट संख्या 301, प्लॉट संख्या 12, जमरूदपुर, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली – 110048 **दूरभाष:** 91-11-29247721-25, **फैक्स:** 91-11-29247730
वेबसाइट: www.emmsons.com, **ईमेल:** corporate@emmsons.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि रु. लाख में, ईपीएस को छोड़कर)

	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	-	-	1.27	54.49
2	अवधि हेतु लाभ/(हानि) (असाधारण मदों तथा कर से पूर्व)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
3	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
4	कर पश्चात की अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (असाधारण मदों के पश्चात)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
5	कुल व्यापक आय	(16.46)	(27.40)	(16.95)	(37.95)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/–) आरक्षिति, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर	1,199.60 –	1,199.60 –	1,199.60 –	1,199.60 (2,35,263.59)
7	प्रति शेयर आय रु. 10/– (1) बेसिक (रु.) (2) डाइल्यूटेड (रु.)	(0.14) (0.14)	(0.25) (0.25)	(0.15) (0.15)	(0.36) (0.36)

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

1	परिचालनों से कुल आय	-	-	1.27	54.49
2	अवधि हेतु लाभ/(हानि) (असाधारण मदों तथा कर से पूर्व)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
3	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
4	कर पश्चात की अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (असाधारण मदों के पश्चात)	(17.37)	(30.35)	(17.66)	(43.04)
5	कुल व्यापक आय	(16.46)	(27.40)	(16.95)	(37.95)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10/–) आरक्षिति, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर	1,199.60 –	1,199.60 –	1,199.60 –	1,199.60 (2,61,544.82)
7	प्रति शेयर आय रु. 10/– (1) बेसिक (रु.)	(0.14)	(0.25)	(0.15)	(0.36)

टिप्पणियाँ:

1. 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त स्टैंडअलोन तथा समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई, और 14 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। सांविधिक लेखा परीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (**www.bseindia.com**) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एम्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./–
राजेश मोंगा
पूर्णकालिक निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 14 अगस्त, 2025

सार्वजनिक सूचना

श्री नितिन चौहान पुत्र श्री कुलदीप चौहान निवासी 594, सेक्टर-12, सानीपत, हरियाणा-131001 एवं सुश्री अलभ्वया अक्षत पुत्री संगीता सिन्हा निवासी मकान नं०-ई-008, विवेक विहार, महर्षि नगर, सेक्टर-82, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है।इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति अपनी आपत्ति/आपत्तियों अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 04.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र० नगर मजिस्ट्रेट /विशेष विवाह अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

सार्वजनिक सूचना

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री वेदपाल सिंह निवासी एएफ-110, अंसल गोल्फ लिंक-2, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० एवं सुश्री फिरोजा पुत्री मौहम्मद गय्यूर निवासी एल-44, सेक्टर-12, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है।इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति अपनी आपत्ति/आपत्तियाँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 04.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र० नगर मजिस्ट्रेट /विशेष विवाह अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

BAJAJ FINSERV

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पंचम तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र– 411014
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.– 451, चतुर्थ तल, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली, भारत 110034,
प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : नाम : अजय मित्तल, ईमेल आईडी : ajay.mittal@bajajhousing.co.in,
मोबाइल नं: 9855733149 / 9896531846, 8669189048

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता ने यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति को बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ('बीएचएफएल') के पास गिरवी रख दिया है और उक्त अचल संपत्ति ('प्रतिभूत परिसंपत्ति / संपत्ति') का अधिग्रहण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफॉएसि अधिनियम 2002 और उसके नियमों के अनुसार कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्ति को बीएचएफएल को देय ऋण बकाया, लागू ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए बोली लगाकर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्ति को 18–09–2025 को बेचा जा रहा है और बोलीदान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम संख्या 8 व 9 के अंतर्गत तथा यहां नी